न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ,जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 39/24

दायर तारीख : 11.06.2024

रामनारायण बनाम बालूराम वगै0

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री रामसिंह अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री ललित कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी 1,3,5

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 20/6/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी सं0 1,3,5 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वाद के पैरा संख्या 4,6 व 8 में अंकन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 05.06.2024 को विवादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवाने से इंकार कर दिया और भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है एंव दिनांक 05.06.2024 का वादकारण अंकित कर वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया है जो सर्वथा गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने सर्वथा गलत तथ्य व वादकारण अंकित कर वाद पेश किया है क्योंकि वादी द्वारा दिनांक 05.06.2024 को वादकारण आधारित कर वाद पेश किय है किन्तु वाद में दर्शित प्रतिवादी संख्या 2 मूलचन्द पुत्र लाखाराम की मृत्यु दिनांक 13.02.2024 को हो चुकी है। एंव वादी ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध गलत तथ्य आधारित कर बिना वादकारण के वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध व वादकारण के अभाव में प्रस्तुत किये जाने से खारिज फरमाया जावे व विशेष हर्जा प्रार्थी/प्रतिवादी को दिलवाया जावे।

3. जिसमें नकल प्रा0 पत्र वादीगण अधिवक्ता को दिलावायी गई। अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता को उक्त प्रा.पत्र का जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार व्यक्त किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। वादी ने वाद तकासमा विवादित आराजीयात का पेश किया है जिसमें जमाबन्दी मुताबिक वाद में पक्षकार कायम किये गये है तथा जमाबन्दी अनुसार पक्षकारों का विभाजन हेतु वादकारण वाद में अंकित किया है विभाजन के वाद में एक प्रतिवादी की मृत्यु से वाद की नोंइयत पर विधि अनुसार कोई प्रभाव नहीं पडेगा तथा मृतक प्रतिवादी के वारिशानों को पत्रावली के रिकोर्ड पर लिया जा सकता है। इसलिए विभाजन का वाद उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार व्यक्त किया गया है। गलत है। स्वीकार नही है। वादी ने विभाजन का वाद पेश किया है। तथा जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादीगण कायम किये गये है व अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि विवादग्रस्त आराजीयात का वादी ने विभाजन हेतु वाद पेश किया है। जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादीगण कायम किये गये है। मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज है। तथा विभाजन के वाद में अन्य प्रतिवादीगण सह खातेदार है। विभाजन के वाद में प्रतिवादी की मृत्यु से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

विधिअनुसार दावा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 के अन्तर्गत खारिज नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4. उभय पक्षकारन की बहस को सुना गया है। पक्षकारान अधिवक्ताओं ने अपने जवाब व प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किये है।

5. बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने विवादित आराजीयात के संदर्भ में वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। वाद पत्र के मद नम्बर 4 में वादकरण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 05.06.2024 को वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने से इंकार करने एंव मनचाही जगह कब्जा करने की धमकी दिये जाने से पेश किया। प्रतिवादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 13.02.2024 को बताया है। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने अपने जवाब उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। अतः उक्त वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वाद आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. के प्रावधानों में आता है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1,3,5 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जाब्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1,3,5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 20/6/25 को सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) आर0ए0स0
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल